न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारीः– श्री राजेश मेवाड़ा (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :– 19/2018

वादी :–	बनाम	प्रतिवादी :–
1. विरमराम उर्फ विजयराज पुत्र थानाराम जी जाति सिरवी उम्र 48 वर्ष निवासी बेरा स्वरूप सागर, पंवारों का पिपलिया, बगड़ीनगर तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान हाल नबंर 77/34 THIRUVALLUVAR SALAI VALASARAVAKKAM CHENNAI 600087		1. सरकार जरिए तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत जिला पाली राजस्थान

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0एक्ट0 1955 एवं 136 एल0आर0एक्ट0 1956

उपस्थितिः–

1. श्री किशन सोनी अधिवक्ता वादी उपस्थित।
2. तहसीलदार सोजत अप्रार्थी स्वयं उपस्थित।

–: निर्णय :– दिनांक – 01.10.2019

अधिवक्ता मय वादीगण ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0एक्ट0 1955 एवं 136 एल0आर0एक्ट0 1956 के तहत विरूद्ध प्रतिवादीग इस आशय से प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी ग्राम बगड़ीनगर का मूल निवासी है तथा 30–32 वर्षो से चैन्नई में परिवार सहित रहकर व्यवसाय करता हैं। ग्राम बगड़ीनगर में उसके माता पिता निवास करते है तथा वादी की पुश्तैनी एवं खरीदसुदा कृषि भूमि स्थित है, जिसकी देखरेख उसके माता पिता व भाई करते आये है तथा वादी के पिता का देहान्त दिनांक 15/5/1992 को हो गया है। वंशावली अनुसार मूल पुरूष थानाराम पुत्र नवलाराम की पत्नि धुलीबाई तथा पुत्र खीवाराम (फौत) व विरमराम उर्फ विजयराज है, खीवाराम की वारिसान गैरीबाई है।

उपरोक्त वंशावली के अलावा थानाराम के अन्य कोई उत्तराधिकारी/वारिसान नही है। वादी की सरहद मौजा ग्राम बगड़ीनगर द्वितीय में स्थित है। नया खाता संख्या 288 पुराना 291 की खसरा नम्बर 3585 से 3593, 3994, 3996 से 3998, 4000, 4001, 4750 से 4754 तथा 4756 कुल किता 21 रकबा 23.9200 हैक्टर की बा0अ0, चा0प्र0, जा0अ0, बंजड़ जाव गै0मु0 सड़ाव, गै0मु0बेरा तथा मौजा बगड़ीनगर चक प्रथम में स्थित ख0न0 273, 299, 409/5088 कुल किता 3 रकबा 2. 4100 हैक्टर बा0अ0 ख0न0 625 रकबा 6.600 हैक्टर चा0दो0 बजंड़ तथा ख0न0 521 रकबा 0.6100 हैक्टर की बा0अ0 की पुश्तैनी संयुक्त खातेदारी की भूमि स्थित है। उपरोक्त वर्णित खसरा नबंरान की कृषि भूमि वादी की पुश्तैनी कृषि भूमि है, जो वादी के पिता थाना पुत्र नवला के नाम से राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज थी, जिसमें वादी के पिता का हिस्सा 1/2 का 1/5 हिस्सा जिसमें 1/2 का 1/5 अर्थात 1/10 हिस्सा तथा 1/10 का 1/4 यानि 1/40 वां हिस्सा सम्पूर्ण आराजीयात में आता था, जो राजस्व रेकर्ड से बखूबी साबित है। तत्पश्चात वादी के पिता का देहान्त दिनांक 15/5/1992 को हो जाने से जरिये फौतेदगी म्यूटेशन संख्या 1006 दिनांक 20/5/2001 को भरा गया। जिसमें नवला के स्थान पर उनके उत्तराधिकारी/वारिसान वादी के भाई खीवाराम, वादी विरमराम पीसरान थानाराम, धुलीबाई बेवा थानाराम दर्ज किया था। तब से आज दिन तक बतौर खातेदार नाम इन्द्राज सुदा है। इसी प्रकार सरहद मौजा ग्राम बगड़ी चक प्रथम में वादी के पुश्तैनी कृषि भूमि सम्वत 2050–2053 खाता संख्या नया 313 पुराना 299 व 300 के वर्तमान

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

Scanned by CamScanner

वर्तमान खसरा नम्बर 273 रकबा 0.4800 है0, खसरा नम्बर 299 रकबा 0.5500 है0 ख0न0 409/5088 रकबा 1.3800 किस्म बारानी प्रथम की कृषि भूमि वादी की पुश्तैनी कृषि भूमि है। जिसमें वादी के पिता थानाराम पुत्र नवलाराम जी का 1/4 हिस्सा आता था तथा थानाराम का देहान्त दिनांक 15/5/1992 को हो जाने से उनके विधिक वारिसान का फौतेदगी म्यूटेशन संख्या 602 दिनांक 20/6/1994 के तहत थानाराम के स्थान पर खींवाराम, वीरमराम पीसरान थानाराम, फुली बेवा थानाराम के नाम सा0 देह खातेदार इन्द्राज किया था। तब से वादी का नाम बतौर खातेदार नाम विरमराम नाम इन्द्राज सुदा है। इसी प्रकार सरहद मौजा ग्राम बगड़ीनगर चक प्रथम जमाबंदी नकल सम्वत 2050–2053 के खाता संख्या नया 315 पुराना 302 खसरा नबंर 625 रकबा 6.6000 हैक्टर की कृषि भूमि में वादी के पिता थानाराम पुत्र नवलाराम के नाम 1/2 हक हिस्सा आता था और 1/2 हक हिस्सा ही वादी के पिता थानाराम के नाम राजस्व रेकर्ड में नाम इन्द्राज सुदा है। थानाराम के देहान्त दिनांक 15/5/1992 के बाद जरिये फौतेदगी म्यूटेशन संख्या 602 दिनांक 20/6/1994 के तहत थानाराम के स्थान पर खीवाराम, वादी वीरमराम पीसरान थानाराम व धुली बेवा थानाराम के नाम से साह देह बतौर खातेदार नाम इन्द्राज किया, तब से आज दिन तक राजस्व रेकर्ड में बतौर खातेदार वीरमराम नाम इन्द्राज सुदा है। बगड़ीनगर चक द्वितीय सम्वत 2054–57 नया खाता संख्या 108 पुराना 109 के खसरा नबंर 521 रकबा 0.6100 हैक्टर जो मुझ वादी विरमराम व मेरे भाई खीवाराम के नाम से जरिये बेचान रजिस्ट्री के बेचानकर्ता रमजानबक्ष पुत्र इलाहीबक्ष कौम घोसी निवासी बगड़ीनगर वालों से हमारे पिता थानाराम ने दिनांक 4/6/1984 को खरीदी हुई है, जिसमें मेरा 1/2 हिस्सा आता है। जो करीब 34 वर्ष पूर्व की बात है, उस समय मैं वादी नाबालिग था, हमारे पिता ने मुझ वादी का घरेलू नाम नाम लिखवाया था, जबकि मुझ वादी के बाद के तमाम दस्तावेजात विजयराज नाम से ही बने हुए है। उपरोक्त तमाम वर्णित कृषि भूमियां मुझ वादी की पुश्तैनी कृषि भूमिया हैं। जिन कृषि भूमि की देखरेख, सार सभाल एवं तमाम असल दस्तावेजात हमारे पिता के पास ही थे, तथा मुझ वादी के पिता के देहान्त के पश्चात मेरे भाई खींवाराम ने उक्त सम्पूर्ण खातों की कृषि भूमि में जरिये फौतेदगी म्यूटेशन थानाराम जी के वारिसानों का नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज करवाया था। उस समय मैं वादी चैन्नई था, और उन्होंने भी मुझ वादी के घरेलू नाम विरमराम का इन्द्राज करवा दिया था तथा मेरा भाई व माता ही उक्त तमाम कृषि भूमि की देखरेख करते थे तथा कृषि भूमि के तमाम दस्तावेजात भी उनके पास ही थे। क्योकि मैं चैन्नई से वर्ष में एक बार कभी कभार ही आता था तथा मुझ वादी के भाई खींवाराम का देहान्त दिनांक 20/07/2010 में हो चुका है, तत्पश्चात मैं वादी अपनी माता की सार संभाल व कृषि भूमि की देखभाल के लिए गांव बगड़ी आया और कृषि भूमि से संबंधित दस्तावेजात को देखा और राजस्व रेकर्ड की नकले प्राप्त करने पर पता चला कि तमाम कृषि भूमि के खातों में मुझ वादी का घरेलू नाम वीरमराम से दर्ज है, जबकि मुझ वादी का वास्तविक नाम विजयराज है, और मेरे तमाम दस्तावेजात अर्थात मतदाता पहिचान पत्र, पेन कार्ड, डी एल, आधार कार्ड, आदि विजयराम के नाम से ही बने हुए है तथा मुझ वादी को घर, समाज व गांव में अपने घरेलू नाम विरमराम नाम से बुलाते एवं जानते व पहिचानते है। जबकि मेरे तमाम दस्तावेजात में मेरा वास्तविक नाम विजयराज पुत्र थानाराम ही है, विरमराम व विजयराज नाम मुझ वादी का ही नाम है। मेरे अलावा अन्य कोई पुत्र, संतान थानाराम पुत्र नवलाराम के नही है। मुझ वादी की माता आज भी जीवित है। मुझ वादी द्वारा पटवारी हल्का बगड़ी से नकले प्राप्त करने पर ही प्रथम बार जानकारी हुई कि राजस्व रेकर्ड में मुझ वादी का घरेलू नाम विरमराम दर्ज है, जबकि मेरा वास्तविक व तमाम दस्तावेजात में नाम विजयराज पुत्र थानाराम नाम दर्ज है। तब मैंने राजस्व अधिकारी व पटवारी हल्का से मिलकर नाम सुधार हेतु निवेदन किया तो उन्होंने मुझे अपना नाम घोषणा का दावा करके सुधरवाने की हिदायत दी, और साथ ही कहां इसके बिना नाम संशोधित संभव नही है। मुझ वादी ने इस वाद के जरिये घोषणा खातेदारी व राजस्व रेकर्ड में नाम संशोधित करवाने का विधिक अधिकारी होने से वादी का यह वाद विरूद्ध प्रतिवादी घोषणा खातेदारी व राजस्व रेकर्ड

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी सोजत (पाली)

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

में नाम दुरस्ती हेतु न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किया है। उपरोक्त वर्णित कृषि भूमियों में सहखातेदारान की संयुक्त कृषि भूमि है। लेकिन उक्त वाद के जरिये मैं वादी कोई ईश्तदुआ प्राप्त नही करना चाहता हूं। इसलिए मैंने उक्त वाद में उन्हें पक्षकार नही बनाया गया। प्रतिवादी तहसीलदार (भूमि धारक) आवश्यक पक्षकार होने से मात्र उन्हें ही उक्त वाद में प्रतिवादी पक्षकार बनाया गया है। वादी को राजस्व रेकर्ड की प्रमाणित प्रतियां पटवारी हल्का से प्राप्त करने हेतु जाने पर प्रथम बार जानकारी होने से तथा वादी द्वारा उपरोक्त कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड की नकले दिनांक 19/2/2018 व 27/2/2018 को प्राप्त करने से एवं कृषि भूमि बगड़ीनगर चक प्रथम व द्वितीय में स्थित होने से तथा बिनायदावा बमुकाम बगड़ीनगर में पैदा होने से यह वाद अन्दर म्याद पेश किया है। वादस्थ कृषि भूमि सरहद मौजा बगड़ीनगर चक प्रथम व द्वितीय तहसील सोजत में स्थित होने से उक्त वाद श्रीमान के क्षैत्राधिकार व श्रवणाधिकार का होने से श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत है। इस प्रकार अधिवक्ता वादी ने राजस्व वादपत्र मय शपथ पत्र एवं दस्तावेजात पेश कर सरहद मौजा बगड़ी चक प्रथम व द्वितीय की स्थित उक्त खातों की कृषि भूमि में मुझ वादी का नाम बतौर खातेदार घरेलू नाम वीरमराम पुत्र थानाराम राजस्व रेकर्ड में गलत नाम इन्द्राज है। विरमराम पुत्र थानाराम के स्थान पर वास्तविक नाम विजयराज पुत्र थानाराम घोषित किया जाकर राजस्व रेकर्ड दुरस्त कर वादी का दस्तावेजी संशोधित सही नाम विजयराम पुत्र थानाराम नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किये जाने अथवा राजस्व रेकर्ड में दर्ज नाम विरमराम पुत्र थानाराम के साथ उर्फ विजयराज जोड़कर राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किये जाने की माफिक डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी के फरमाये जाने की ईश्तदुआ की है। इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी जरिए सम्मन वास्ते जबाब दावा तलब किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार, सोजत ने जबाब दावा दिनांक 26.04.2018 तथा 07.06.2018 पेश कर वादी की भूमि सरहद मौजा बगड़ीनगर चक प्रथम व द्वितीय में स्थित होना स्वीकार कर निवेदन किया कि वादी अपना नाम विरमराम के स्थान पर विजयराज दुरूस्ती करवाना चाहता है, जिसे वादी स्वयं न्यायालय हाजा में सिद्ध करें। न्यायालय हाजा द्वारा बाद सुनवाई दुरूस्ती के आदेश पारित किये जाने पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं होने के तथ्य अंकित किये है, जबाब दावा सामिल मिसल है।

अधिवक्ता वादी ने वाद पत्र के संलग्न प्रस्तुतीकरण तथा दिनांक 01.10.2019 को दस्तावेजात तथ जमाबन्दी सम्वत् 2033–52, 2046–49, 2054–57, 2058–61, 2062–65, 2066–69, 2070–73 वर्तमान जमाबन्दी एवं बेचान पंजीबद्ध दस्तावेज दिनांक 04.06.1984 ना0सं0 1006, आधार कार्ड संख्या 286289965214 तथा निर्वाचन विभाग द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र संख्या XBG 1367812 पेश किए, सामिल मिसल है। अधिवक्ता वादी दस्तावेजात पेश करने हेतु समय दिया गया। दिनांक 01.10.2019 को अधिवक्ता वादी ने साक्ष्य सबूत बतौर दस्तावेजात तथा प्रधानाध्यापक, रा0उ0मा0वि0 बगड़ीनगर द्वारा जारी टी0सी0 (स्थानान्तरण प्रमाण पत्र) संख्या 2513 कक्षा 8 उत्तीर्ण दिनांक 05.05.1984 पेश की है तथा वाद पत्र में वर्णित तथ्यों के समर्थन/ताईद में वादी स्वयं की माता धुली बाई पत्नि थानाराम तथा स्वतंत्र गवाह चिमनलाल पुत्र पूनाराम तथा भूण्डाराम पुत्र दलाराम के तस्दीक सुदा शपथ पत्र एवं पैनकार्ड संख्या TN1020010001570 दिनांक 09.02.2001 की प्रतिया पेश की है, सामिल पत्रावली किया गया। प्रस्तुत वाद पत्र में वर्णित तथ्यों की संपुष्टि प्रस्तुत दस्तावेजात टी0सी0 (स्थानान्तरण प्रमाण पत्र) पेनकार्ड, आधार कार्ड एवं प्रस्तुत शपथ पत्रों में अंकित तथ्यों से होने से पृथक तनकीयात कायमी की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

बहस अधिवक्ता वादी तथा प्रतिवादी तहसीलदार सोजत सुनी गई। अधिवक्ता वादी ने बहस के दौरान व्यक्त किया कि मौजा बगड़ीनगर में स्थित उक्त विवादग्रस्त भूमियों के वर्तमान राजस्व रेकर्ड में घरेलू बोलचाल की भाषा का मेरे पिता के स्वर्गवास पर माता व बड़े भाई विरमराम नाम दर्ज करवा दिया जबकि वादी का उक्त दस्तावेजात तथा शपथ पत्रों के अनुसार वास्तविक समस्त रेकर्ड में विजयराज पुत्र थानाराम ही होना बखूबी साबित है। लिहाजा अधिवक्ता वादी का वाद स्वीकार किये जाने तथा उक्त विवादित भूमि में वादी का विरमराम पुत्र थानाराम के स्थान पर

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

Scanned by CamScanner

विरमराम उर्फ विजयराज पुत्र थानाराम दुरूस्त दर्ज किये जाने की ईशतदुआ की है। प्रतिवादी तहसीलदार, सोजत ने भी वाद पत्र में वर्णित तथ्यों की संपुष्टि हो जाने से वाद स्वीकार कर उक्तानुसार वादी के नाम की दुरूस्ती किये जाने की स्वीकारोक्ति सहमति व्यक्त की है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अधिवक्ता वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र मय शपथ पत्र, दस्तावेजात एवं साक्ष्य सबूत बतौर प्रस्तुत शपथ पत्रों का गहनतापूर्वक अध्ययन किया गया तथा बहस अधिवक्ता वादी तथा प्रतिवादी तहसीलदार सोजत पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः अधिवक्ता वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र में वर्णित तथ्यों की शपथ पत्रों से संपुष्टि होने से स्वीकार किया जाना तथा सरहद मौजा बगड़ीनगर चक प्रथम व द्वितीय में स्थित उक्त विवादित भूमि के वर्तमान राजस्व रेकर्ड में दर्ज वादी का नाम विरमराम पुत्र थानाराम के स्थान पर विरमराम उर्फ विजयराज पुत्र थानाराम दुरूस्त दर्ज किये जाने हेतु तहसीलदार सोजत को आदेशित किया जाना उचित समझते है।

—: आदेश :—

अतः अधिवक्ता मय वादी द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाता है। डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी इस अमर सादिर की जाती है कि अधिवक्ता मय वादी द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा बगड़ीनगर चक [illegible] द्वितीय में स्थित कृषि भूमि नया खाता संख्या 288 पुराना 291 की खसरा नम्बर 3585 से 3593, 3994, 3996 से 3998, 4000, 4001, 4750 से 4754 तथा 4756 कुल किता 21 रकबा 23.9200 हैक्टर की बा0अ0, चा0प्र0, जा0अ0, बंजड़ जाव गै0मु0 सड़ाव, गै0मु0बेरा तथा मौजा बगड़ीनगर चक प्रथम में स्थित ख0न0 273, 299, 409/5088 कुल किता 3 रकबा 2.4100 हैक्टर बा0अ0 ख0न0 625 रकबा 6.600 हैक्टर चा0दो0 बजंड़ तथा ख0न0 521 रकबा 0.6100 हैक्टर की बा0अ0 की पुश्तैनी संयुक्त खातेदारी की भूमि के वर्तमान राजस्व रेकर्ड में वादी का दर्ज नाम विरमराम पुत्र थानाराम के स्थान पर वास्तविक व सही नाम विरमराम उर्फ विजयराज पुत्र थानाराम दुरूस्त दर्ज किये जाने के तहसीलदार, सोजत को आदेश दिये जाते है। तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। डिक्री पर्चा पृथक से मूर्तिब किया जाकर पत्रावली बद्व किया जावें। तहसीलदार सोजत को उक्त निर्णय व डिक्री पर्चा की प्रति भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(राजेश मेवाड़ा)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी सोजत (पाली)

यह निर्णय आज दिनांक 01.10.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेश मेवाड़ा)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई

(ओ020 नियम 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

बइजलाश श्री राजेश मेवाड़ा (आर.ए.एस.)

वादी	बनाम	प्रतिवादी
विरमराम उर्फ विजयराज पुत्र थानाराम जी जाति सिरवी उम्र 48 वर्ष निवासी बेरा स्वरूप सागर, पंवारों का पिपलिया, बगड़ीनगर तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान हाल नबंर 77/34 THIRUVALLUVAR SALAI VALASARAVAKKAM CHENNAI 600087		1. सरकार जरिए तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0एक्ट0 1955 सपठित धारा 136 एल.आर.एक्ट 1956

राजस्व वाद संख्या :– 19/2018

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजिरी अधिवक्ता वादी तथा प्रतिवादी पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा बगड़ीनगर चक [illegible] द्वितीय में स्थित कृषि भूमि नया खाता संख्या 288 पुराना 291 की खसरा नम्बर 3585 से 3593, 3994, 3996 से 3998, 4000, 4001, 4750 से 4754 तथा 4756 कुल किता 21 रकबा 23.9200 हैक्टर की बा0अ0, चा0प्र0, जा0अ0, बंजड़ जाव गै0मु0 सड़ाव, गै0मु0बेरा तथा मौजा बगड़ीनगर चक प्रथम में स्थित ख0न0 273, 299, 409/5088 कुल किता 3 रकबा 2.4100 हैक्टर बा0अ0 ख0न0 625 रकबा 6.600 हैक्टर चा0दो0 बजंड़ तथा ख0न0 521 रकबा 0.6100 हैक्टर की बा0अ0 की पुश्तैनी संयुक्त खातेदारी की भूमि के वर्तमान राजस्व रेकर्ड में वादी का दर्ज नाम विरमराम पुत्र थानाराम के स्थान पर वास्तविक व सही नाम विरमराम उर्फ विजयराज पुत्र थानाराम दुरूस्त दर्ज किये जाने के तहसीलदार, सोजत को आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सोजत को इस आदेश व डिक्री की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

मीजान – मुबलिग – बाबत ––

खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह शून्य फीसदी सालाना ब्याज की तारीख से तारीख वसूलवाली तक शून्य की अदा करें।

बशिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 01.10.2019 को जारी की गई।

उप खण्ड अधिकारी सोजत (पाली)

(राजेश मेवाड़ा)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

मद्दई	रूपया	न.पै.	मुद्दायला	रूपया	न.पै.
स्टाम्प अरजीदावा	शून्य	शून्य	स्टाम्प वकलतनामा	शून्य	शून्य
स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	शून्य	स्टाम्प अरजी	शून्य	शून्य
स्टाम्प वजह सबूत	शून्य	शून्य	महनताना वकल	शून्य	शून्य
महनताना वकील पर	शून्य	शून्य	खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य
खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य	फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य
फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य	बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य
बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य	मुतफर्रिक	शून्य	शून्य
मतफर्रिक	शून्य	शून्य			
मद्दई	रूपया	न.पै.	मुद्दायला	रूपया	न.पै.

Scanned by CamScanner